न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
36 / 2024	05 / 06 / 2024	14/2/2025

1. सूरजन गोचर पुत्र श्री रामनारायण जाति गुर्जर निवासी रामपुरिया धाबाई तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०।

वादी

–बनाम–

1. घनश्याम पुत्र श्री रामनारायण जाति गुर्जर निवासी रामपुरिया धाबाई तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०।
2. लटूर पुत्र श्री रामनारायण जाति गुर्जर निवासी रामपुरिया धाबाई तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. हरिमोहन पुत्र श्री रामनारायण जाति गुर्जर निवासी रामपुरिया धाबाई तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

निणर्य
वाद अर्न्तगत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

संक्षेप में वाद इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का बालूपा भू0अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या नया 173 व पुराना 159 की खसरा संख्या 267 रकबा 1.74 हैक्टेयर नहरी दित्तीय, खसरा संख्या 385 रकबा 0.56 हैक्टेयर बारानी उत्तम, खसरा संख्या 92 रकबा 1.27 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल किता 3 की कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा निहित है जिसे वाद पत्र की आगे कि मदों में विवादित आराजी कहा गया है।

यह कि विवादित आराजी वादी के संयुक्त खाते व कब्जा काश्त की आराजी है जिसमे वादी का नाम सूरजमल पुत्र रामनारायण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि वादी के बचपन का नाम है किन्तु बाद के अन्य रिकॉर्ड पहचान पत्र, जॉब कार्ड राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, आयकारी विभाग, जनआधार कार्ड आदि मे वादी का नाम सूरजन गोचर पुत्र रामनारायण दर्ज है दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है किन्तु वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे त्रुटिपुर्वक सूरजन गोचर पुत्र रामनारायण के स्थान पर सूरजमल पुत्र रामनारायण दर्ज हो रहा है वादी के दो भिन्न–भिन्न रिकॉर्ड व नाम हो जाने के कारण वादी को कृषि विकास कार्यों को करवाने बैंक लोन

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अपने राजस्व रिकॉर्ड मे सूरजन गोचर पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर के नाम से करवाने का निवेदन किया है।

यह कि वादी द्वार प्रतिवादी क्र0 04 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष 80 सीपीसी को नोटिस मियादी 2 माह का देना अनिवार्य है लेकिन वादी द्वारा निवेदन किया है कि वादी आवश्यक प्रकृति का होने के कारण वादी ने वाद के साथ 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय कि डिक्री पारित फरमायी जावेः–

(अ) कि विवादित आराजी ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का बालूपा भू0अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या नयी 173 व पुरानी 159 की खसरा संख्या 267 रकबा 1.74 हैक्टेयर नहरी दित्तीय, खसरा संख्या 385 रकबा 0.56 हैक्टेयर बारानी उत्तम, खसरा संख्या 92 रकबा 1.27 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल किता 3 की कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर भूमि मे वादी का नाम सूरजमल पुत्र रामनारायण के स्थान पर सूरजन गोचर पुत्र रामनारायण दर्ज किया जावें, तथा वादी का गलत नाम सूरजमल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावें। तथा सूरजन गोचर पुत्र रामनारायण जाति दरामद किया जावें । के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादी को प्रदान कि जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जरिये सागन करवायी गई। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस करवायी गई। प्रतिवादीगण 01 ता 03 की और से एड0 श्री अम्बेडकर ओर से वकालतनामा एवं इकबाली जावाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब सरकार में नियत की गई प्रतिवादी क्र0 04 तहसीलदार पीपल्दा को जवाब सरकार पेश करने हेतु कई अवसर दिए गए अनेक अवसर देने उपरान्त भी तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाव सरकार बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस में नियत की गई।

उभपक्षकाराना की बहस सुनी गई प्रकरण में वकील वादी द्वारा दौराने वहस वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न रिकॉर्ड अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सूरजमल गोचर पुत्र रामनारायण के स्थान पर सूरजन पुत्र रामनारायण गोचर करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वाद में प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब पेश किया है। वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत रिकॉर्ड राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, इत्यादि में वादी का नाम सूरजमल गोचर पुत्र रामनारायण दर्ज है।

उक्त विवेचन के आधार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर वाके आराजी ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का बालूपा भू0अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

नयी 173 व पुरानी 159 की खसरा संख्या 267 रकबा 1.74 हैक्टेयर नहरी द्वितीय, खसरा संख्या 385 रकबा 0.56 हैक्टेयर बारानी उत्तम, खसरा संख्या 92 रकबा 1.27 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल किता 3 की कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर भूमि मे वादी का नाम सूरजमल पुत्र रामनारायण के स्थान पर सूरजन उर्फ सूरजमल जाति गोचर/गुर्जर पुत्र रामनारायण राजस्व रिकार्ड में अमलदर्ज किए जाने के आदेश दिया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें।

मेरे द्वारा निर्णय सरे इजलाश सुनाया गया।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी

इटावा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा